न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/486

1. श्रीमती शांति बाई आयु 70 वर्ष बेवा स्वर्गीय श्री अम्बालाल जाति धाकड ।
2. श्योजी आयु 40 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री अम्बालाल जाति धाकड ।
3. प्रकाश आयु 25 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री अम्बालाल जाति धाकड ।
4. श्रीमती गीता बाई आुय 45 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री अम्बालाल पत्नी श्योराज जाति धाकड निवासीगण ग्राम कांकरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक अम्बालाल ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं अधिकार घोषणा का ग्राम कांकरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 08 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 15.09.1966 को वादग्रस्त आराजी वादी को मिसल नम्बर 893 से आवंटन की गई थी । आवंटन के पश्चात् वादी को दखलनामा देकर कब्जा संभला दिया था तब से ही वादी उक्त आवंटित भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है । कुछ समय बाद सेटलमेंट ने उक्त भूमि को चारागाह अंकित कर दिया । वादी आवंटन के दिनांक से ही उक्त आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि जिसे लिपिकीय त्रुटि से राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह अंकित

कर दिया गया है को दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी में वादी के उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करें, बेदखल नहीं करें उक्त भूमि को दौराने वाद खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर वादी मृतक अम्बालाल के वारिसान अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 17.06.2016 को तनकीयात में लम्बित थी । बाद में दिनांक 18.06.2015 एवं 19.06.2015 तारीख पेशी नियत की गई और पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । उक्त भूमि पर आवंटी अम्बालाल जी काबिज काश्त थे उक्त आवंटित भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया था । उक्त निर्णय पारित करने के बाद से ही अम्बालाल गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे जिनका दिनांक 09.06.2016 को स्वर्गवास हो हो गया । उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके सामाजिक धार्मिक कियाकर्म करने के बाद प्रार्थीगण अपीलान्ट न्यायालय में गये और अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तब उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता एवं पति श्री अम्बालाल के द्वारा एक दावा इन्द्राज दुरूस्ती, हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी अम्बालाल को आवंटित कर मौके पर दखल दिया गया था उसके बाद सेटलमेट की कार्यवाही के दौरान आराजी को चारागाह दर्ज किया गया । जिनके मूल खसरा नम्बर के कई खसरा नम्बर बन गये और उनका रकबा भी विभक्त कर दिया हाल खसरा नम्बर 176/388 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के साबिक खसरा नम्बर 79 मिन रकबा 03 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 81 मिन रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 88 मिन रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा हैं । इस आराजी को चारागाह दर्ज करने का सेटलमेंट को कोई

अधिकार नहीं था । आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा है । लोक अदालत में निर्णय पारित कर वादी का दावा खारिज किया है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना नहीं की गई है । दिनांक 17.06.2015 को तनकीयात के लिए तारीख नियत थी इसमें दिनांक 18.06.2015 और 19.06.2015 की तारीख पेशी नियत कर लोक अदालत में दावा खारिज किया गया है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक किस्म चारागाह भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकाकर प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी का वाद उक्त भूमि के बाबत् मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का यह कथन करते हुए पेश किया कि उनको दिनांक 29.06.1966 को खसरा नम्बर 81 की 08 बीघा आराजी आवंटन कर दखल दिया गया था और बाद में सेटलमेंट ने इस आराजी को गलत रूप से किस्म चारागाह दर्ज किया है । अपने कथन के समर्थन में इन्होंने आवंटन आदेश की प्रति पेश की है जिसके अनुसार मिन नं0 81 की 08 बीघा आराजी दिनांक 15.09.1966 को आवंटन किया जाना अंकित है । पेश किये गये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 81 मिन, 79 मिन और 88 मिन के हाल खसरा नम्बर 176/388 कायम किये गये हैं और नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार यह आराजी सरकारी सिवायचक किस्म चारागाह दर्ज है जो मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है उसमें 81 मिन कारकबा 05 बीघा 15 बिस्वा ही अंकित किया गया है । शेष रकबा खसरा नम्बर 79 एवं 88 का है । वादी अपीलान्ट को आवंटन के पश्चात् आवंटित आराजी में गैर खातेदारी मिली हो इस आशय की कोई नकल जामबन्दी पेश नहीं की गई है और न ही कोई दखलनामे की प्रति पेश की है ।

12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त अराजी किस्म चारागाह भूमि है जिसमें किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । साथ ही हक घोषणा के दावे में आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । आवंटी को सम्बन्धित आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है तो उन्हें खातेदारी प्रदान कर सकते हैं । आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं

है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/486

1. श्रीमती शांति बाई आयु 70 वर्ष बेवा स्वर्गीय श्री अम्बालाल जाति धाकड ।
2. श्योजी आयु 40 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री अम्बालाल जाति धाकड ।
3. प्रकाश आयु 25 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री अम्बालाल जाति धाकड ।
4. श्रीमती गीता बाई आुय 45 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री अम्बालाल पत्नी श्योराज जाति धाकड निवासीगण ग्राम कांकरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. भू—स्वामी जरिये तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 58/दावा/2011

अम्बालाल आत्मज मांगीलाल आयु 70 वर्ष जाति धाकड निवासी कांकरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा